# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

**Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in**

पत्रांक: 1442/सो.आ.नि.–322(4)/2025

दिनाँक: 18 दिसम्बर, 2025

प्रेषक,

**निदेशक**
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**
(गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

**विषयः जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को आवंटित कार्य किसी अन्य कर्मचारी से न कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों के जिला विकास अधिकारियों द्वारा जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को आवंटित कार्य जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर से न कराकर जनपद के अन्य कर्मचारियों से कराये जा रहे हैं, जो नियम विरूद्ध है तथा इससे सोशल आडिट की छवि धूमिल होने के साथ–साथ पारदर्शिता प्रभावित होती है।

शासनादेश सं0 2245/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009 दिनांक 04–10–2012 एवं निदेशालय के विभिन्न परिपत्रों द्वारा यथानिर्देशित कार्य जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर से ही कराया जाना अपेक्षित है। जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की अनुपस्थिति में अथवा उन्हें आवंटित कार्य उनके द्वारा सुचारू रूप से सम्पन्न न किये जाने की दशा में, जिलाधिकारी की संस्तुति से निदेशालय द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किसी अन्य कर्मचारी से कार्य लिया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
Kamlesh Kumar
Date: 17-12-2025
16:50:03
(कमलेश कुमार)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–

समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 (जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)
निदेशक।